देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/MMP/02

E-Newsletter, Issued in Public Interest

सोमवार, 13 जनवरी 2020

126,राजेन्द्र नगर,सिरसी रोड,हनुमान नगर विस्तार,वैशालीनगर पर संचालित होटल निलाक्स

वैध है या अवैध?

भूखंड संख्या 126,राजेन्द्र नगर,सिरसी रोड,हनुमान नगर विस्तार,वैशालीनगर पर संचालित

होटल निलाक्स

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,वैशालीनगर,302012 मोबाइल:-9828346151

शिकायत की प्रथम रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	भूखंड संख्या 126,राजेन्द्र नगर,सिरसी रोड,हनुमान नगर विस्तार,वैशालीनगर
2.	संचालित होटल का नाम	होटल निलाक्स
6.	उल्लंघन की प्रकति	बिना अनुमति ,बिना स्वीकृत मानचित्र अनुमोदित करवाए होटल का संचालन
7.	सम्बंधित ज़ोन	ज़ोन-7
8.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	प्रवर्तन अधिकारी;श्री कैलाश चौधरी
9.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	13/01/2020

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या होटल संचालक द्वारा विधिक रूप से व्यवसायिक उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या होटल संचालक द्वारा जे.डी.ए. से होटल हेतु मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
3. क्या होटल संचालक द्वारा जे.डी.ए. विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया गया है?
4. क्या होटल संचालक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
5. क्या होटल संचालकों द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
6. इन बिल्डिंगों के अवैध होने की स्थिति में जे.डी.ए. को व्यवसायिक रूपांतरण शुल्क,यू.डी. टेक्स,लीज मनी व अन्य शुल्कों के रूप में होने वाली राजस्व आय के नुकसान का जिम्मेदार कौन है?
7. किस प्रवर्तन अधिकारी के कार्यकाल में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था ?
8. यदि जे.डी.ए. विनियमों के उल्लंघन के अनुसार यह बिल्डिंग अवैध है तो क्या यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान मामले में दिए गए आदेशों की अवमानना नहीं है?